

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2020

का.आ. 1830(अ).—केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का

25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के संस्थान निकाय का पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

- i. धारा 4 के खंड (क) के तहत सदस्य:
 1. डॉ. हाकम दान चारण, कुलपति, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान
- ii. धारा 4 के खंड (ख) के तहत सदस्य :
 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
- पदेन सदस्य
- iii. धारा 4 के खंड (ग) के तहत सदस्य :
 3. संस्थान के निदेशक
- पदेन सदस्य
- iv. धारा 4 के खंड (घ) के तहत सदस्य :
 4. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार
- वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि
 5. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर-- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि
- v. धारा 4 के खंड (ङ) के तहत सदस्य :
 6. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
 7. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार या उनके नामांकित व्यक्ति
 8. प्रो. अशोक कुमार सक्सेना, पूर्व महासचिव, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन
 9. डॉ. एस. सी. शर्मा, पूर्व विभागाध्यक्ष, ओटोलरिंगोलोजी और हेड एवं नेक सर्जरी, एम्स दिल्ली
 10. डॉ. एस. एस. अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष, आईएमए, जयपुर, राजस्थान।
- vi. धारा 4 के खंड (च) के तहत सदस्य :
 11. डॉ. धनंजय अग्रवाल, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, नेफ्रोलॉजी विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज,
जयपुर, राजस्थान
 12. डॉ. जी. एस. वांडर, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी विभाग, डीएमसी और अस्पताल,
लुधियाना, पंजाब
 13. डॉ. एस. के. गुप्ता, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, न्यूरोसर्जरी विभाग, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़
 14. डॉ. विनीत आहूजा, प्रोफेसर, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग, एम्स नई दिल्ली
- vii. संसद सदस्य [धारा 4 के खंड (छ) के तहत] :
 15. श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य, लोकसभा
 16. श्री चंद्र प्रकाश जोशी, संसद सदस्य, लोकसभा
 17. श्री नारायण लाल पंचारिया, संसद सदस्य, राज्य सभा

सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जैड-28016/177 /2019-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2020

S.O . 1830(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012) , the Central Government hereby re-constitutes the **All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur** consisting of the following members, namely :-

I. Member under clause (a) of Section 4 :

1. Dr. Hakam Dan Charan, Vice Chancellor, Bikaner Technical University, Bikaner, Rajasthan

II. Member under clause (b) of Section 4 :

2. Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
- ex-officio

III Member under clause (c) of Section 4:

3. The Director of the Institute
- ex-officio

IV Member under clause (d) of Section 4:

4. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
- Representative of Ministry of Finance
5. Director, Indian Institute of Technology, Jodhpur- Representative of Ministry of Human Resource Development

V. Member under clause (e) of Section 4 :

6. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India or his/her nominee.
7. Chief Secretary, Government of Rajasthan or his/her nominee
8. Prof. Ashok Kumar Saxena, former General President, Indian Science Congress Association
9. Dr. S.C. Sharma, Head Otolaryngology and Head & Neck Surgery, AIIMS Delhi
10. Dr. S.S. Agarwal, Past President, IMA, Jaipur, Rajasthan

VI. Member under clause (f) of Section 4 :

11. Dr. Dhananjay Agarwal, Professor &HOD, Department of Nephrology, S.M.S. Medical College, Jaipur, Rajasthan
12. Dr. G.S. Wander, Professor & HOD, Department of CardiologyDMC & Hospital, Ludhiana, Punjab
13. Dr. S,K, Gupta, Professor& HOD, Department of Neurosurgery, PGIMER Chandigarh
14. Dr. Vineet Ahuja, Professor, Department of Gastroenterology, AIIMS New Delhi

VII. Members of Parliament [under clause (g) of Section 4] :

15. Sh. P.P. Chaudhary, Member of Parliament , Lok Sabha
16. Sh. Chandra Prakash Joshi, Member of Parliament , Lok Sabha
17. Sh. Narayan Lal Panchariya, Member of Parliament , Rajya Sabha

The terms of Office of the members shall be governed by the provisions contained in the Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F.No. Z-28016/177/2019-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2020

का.आ. 1831(अ).—केंद्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. एस. सी. शर्मा, पूर्व विभागाध्यक्ष, ओटोलरिंगोलोजी एवं हैड, नैक, एम्स, दिल्ली को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के अध्यक्ष के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. जैड-28016/177 /2019-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2020

S.O . 1831(E).—In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. S.C. Sharma , former Head, Otolaryngology and Head & Neck Surgery, AIIMS Delhi, as President of the All India Institute of Medical Sciences, **Jodhpur**.

[F.No. Z-28016/177/2019-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.